

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Regional Office

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 574/NOC-26/बल0/2022

दिनांक : 05/01/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद-बलरामपुर।

विषय:- मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम-मदरहवा, परगना-तुलसीपुर, तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर के गाटा सं0-224 पर पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-468/आयुध लिपिक(अना0प्र0प0)/2021 दिनांक 29 नवम्बर 2021का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से ग्राम-मदरहवा, परगना-तुलसीपुर, तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर के गाटा सं0-224 पर पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में संदर्भित पेट्रोल पंप का स्थलीय निरीक्षण 03.01.2022 को किया गया। संदर्भित पेट्रोल पंप की स्थापना ग्राम-मदरहवा, परगना-तुलसीपुर, तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर के गाटा सं0-224क पर किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है-

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पंप की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये जिससे कि आस-पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पंप हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मददेनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपाय अग्निशमन विभाग के गाइड लाइन के अनुसार स्थापित किया जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
6. पेट्रोल पंप द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
7. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
8. पेट्रोल पंप द्वारा हैजार्डस वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स), रूल्स 2008 (यथासंशोधित) तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्डस केमिकल रूल्स, 1989 एवं पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेंस एक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग
बलरामपुर

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती-272001
Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.com

Asish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 16किली0 पेट्रोल(एम0एस0)-1अदद एवं 35किली0 डीजल आयल (एच0एस0डी0)-1अदद के भंडारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाए ।
10. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये ।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये ।
12. डी0जी0 सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य श्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये ।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये ।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये ।
15. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में वर्षा जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये ।
16. पेट्रोल पम्प पर वाहनो के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य यातायात बाधित न हो ।
17. न्यू रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित डीजल ऑयल एवं पेट्रोल अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज टैंक को डबल वाल्ड टैंक स्थापित किया जाये अथवा स्टोरेज टैंक के चारो तरफ कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जाये ।
18. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के 100मीटर दूरी के अन्दर वर्ष में एक बार भूमिगत जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स की जांच एन0ए0बी0एल0 एक्रीडेटेड प्रयोगशाला से कराया जाये ।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रोल पम्प हेतु बनायी गयी गाइड लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन किया जाये ।
20. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशो का अक्षरशः अनुपालन किया जाये ।

भवदीय

(विजय)

क्षेत्रीय अधिकारी

— 012

W

Ashish Kumar Sharma

Duly Constituted Attorney

Hindustan Petroleum Corporation Limited

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग

बलरामपुर